

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज०)

मि०न०

15/2022

तारीख दायरा

31.01.2022

तारीख फैसला

14.05.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र दीगोद

उनवान

1- ललिता बाई उर्फ पंसूरी पुत्री गोपाल पत्नी जगदीश जाति माली निवासी कोटाडादीपसिंह तहसील दीगोद हाल निवासी मंडोला जिला बांरा राज०
(वादिनी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)
(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से - श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

किसान क्लिप

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

यह कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादिनी के शामिल की खेतों में खाता सं. 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.39 है, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.19 है, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.08 है, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.13 है, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.02 है, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 344/394 रकबा 0.02 है, कुल 17 किता की 3.13 हे० भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादिनी का नाम पंसूरी दर्ज है, जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 संलग्न है।

यह कि वादिनी का नाम नामा० दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम पंसूरी के नाम से नामा० दर्ज कर दिया गया है जबकि वादिनी का वास्तविक नाम ललिता बाई है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादिनी का नाम ललिता बाई है। जिससे वादिनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादिनी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादिनी का नाम ललिता बाई है। वादिनी का नाम ग्राम रलायता की जमाबन्दी में पंसूरी होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान

6/5/22

14/05/2022

कॉपीड कार्ड लेने से वंचित हो रही है। वादिनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादिनी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम रलायता की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ललिता बाई के स्थान पर पंसूरी दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादिनी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अंतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-

कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादिनी के शामलाती खाते में खाता सं. 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.39 है, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.19 है, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.08 है, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.13 है, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.02 है, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 344/394 रकबा 0.02 है, कुल 17 किता की 3.13 हे० भूमि चली आ रही है जिसमें वादिनी का नाम पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादिनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

- 1- नकल जमाबन्दी सवंत् 2076-2079
- 2- नकल नोटिस नोनेरा डेम
- 3- नकल आधार कार्ड
- 4- नकल पेन कार्ड
- 5- नकल बैंक पास बुक
- 6- नकल सरपंच तस्दीक ग्राम पंचायत कोटडादीपसिंह

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि ग्राम रलायता के खाता सं. 29 में वादिनी का नाम पंसूरी दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजों में वादिनी का नाम ललिता बाई दर्ज है। वादनी का नाम दुरुस्त करने की अभिशंषा की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में सहखातेदारान के शपथ लिये गये जो शामिल फायल किये जाकर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

14/05/2022

- बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादिनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

वादिनी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में वादिनी का नाम ललिता बाई दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादिनी के शामलाती खाते में खाता सं. 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है०, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 344/394 रकबा 0.02 है०, कुल 17 किता की 3.13 हे० भूमि चली आ रही है जिसमें वादिनी का नाम पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया। पत्रावली में वादिनी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सहायक कलक्टर दीगोद की अभिशंसा के आधार पर वादिनी का नाम उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदे दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

14/05/2022

FOR COPYING FEE

FOR COPYING FEE

Rs. 2

FEE

INDIA

बाबत 10 का कमाक व दिनांक 13/5/22-22
- प्रमाणित किया गया है 6
- सिद्धि 13-5-22
को सिद्धि 13-5-22

ललिता बाई उर्फ पंसूरी पुत्री गोपाल पत्नी जगदीश जाति माली निवासी
कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद हाल निवासी मडोला जिला बारा राजस्थान

उनवान

(वादिनी)

(प्रतिवादी)

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा
वादिनी की ओर से - श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 आर टी एक्ट

मिसल न 15/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - वादिनी का वात्र पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में वादिनी के शामलाती खाते में खाता सं. 29 की खसरा नम्बर 306/395 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 325 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 328 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 332 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 344/394 रकबा 0.02 है0, कुल 17 किता की 3.13 हे0 भूमि में वादिनी का नाम पंसूरी के स्थान पर ललिता बाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 14.05.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपयें	पैसे		रुपयें	पैसे
मुदई	0	0	मुदालयह	0	0
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
सबूत	0	0	महन्ताना	0	0
महन्ताना	0	0	वकील	0	0
वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय	0	0
बबत इजराय	0	0	हुक्मनामा	0	0
हुक्मनामा	0	0	मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			

14/05/22

6/0/22

FOR COPYING FEES ONLY